

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

श्री निशीथ सक्सेना (भा.व.से.)
सहायक वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:- बैतूल जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य से वनग्राम मालनी-II को
उत्तर बैतूल के परिक्षेत्र भौरा के कक्षा क्रमांक आर0एफ0-154 में विस्थापित किए
जाने हेतु 285.700 हेक्टेयर वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम के तहत प्रस्ताव।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/F.No. 8-34/2017-FC दिनांक 09.11.2017

---0---

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा
आपने विषयांकित प्रकरण के विस्थापन के प्रस्ताव की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति
प्रदान की गई है। प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्त क्रमांक 1 से 17
का पालन प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक, बैतूल ने अपने पत्र दिनांक 01.12.2017 द्वारा प्रस्तुत
किया है, जो संलग्न है।

अनुरोध है कि प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


05/12/17
(सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक/एफ-5/802/2016/10-11/3669

भोपाल, दिनांक 05/12/17

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. मुख्य वन संरक्षक, बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश।
4. वन मण्डलाधिकारी (सामान्य) वन मण्डल, उत्तर बैतूल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

